

## समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड वृद्धावस्था भरण-पोषण अनुदान (पेशन का प्रार्थना पत्र)

1. आवेदक का नाम .....  
.....
  2. पिता / पति का नाम.....  
.....
  3. पता:-  
.....

नवीनतम फोटो जो ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, अध्यक्ष/सभासद नगर पालिका से/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सत्यापित

ग्राम / मौहल्ला..... पोस्ट-.....

विकास खण्ड..... तहसील ..... जनपद.....

मोबाइल नं0.....(स्वयं का अथवा किसी परिचित का)

4. जाति.....

5. बी.पी.एल. चयनित परिवार का क्रमांक या वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र.....  
(उपरोक्त में से कोई एक अनिवार्य रूप से प्रमाण-पत्र संलग्न करें )

6. जन्मतिथि / आयु ..... (रजिस्टर भाग—दो / फोटो पहचान पत्र / शैक्षिक अभिलेख के आधार पर)

7. (1) डाकघर /ईं बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक का नाम एवं पता.....

(2) खाता सं०

(3) IFS Code No.

(4) डाकघर / बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति (अनिवार्य रूप से संलग्न करें )

## अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं ..... घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गयी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है। किसी भी असत्य या छिपायी गयी सूचना हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी। किसी भी बिन्दु पर दी गयी असत्य सूचना के लिये मैं पेशन के रूप में प्राप्त धनराशि को भू-राजस्व के रूप में राजकोष में जमा करूँगी।

दिनांक: .....

### अभ्यर्थी के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि :-

- 1 श्री / श्रीमती.....जो 60 वर्ष से अधिक आयु की हैं ,ने वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन किया है ।

2. श्री / श्रीमती .....बी.पी.एल.चयनित परिवार के हैं तथा बी.पी.एल. क्रमांक..... है ।  
अथवा आवेदक की समस्त श्रोता से मासिक आय रु0.....है(प्रमाण—पत्र संलग्न )।

## ग्रामीण क्षेत्र के लिये

## ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

## ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर

## शहरी क्षेत्र के लिये

## सहारा समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर व महर

## तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं महर